

37, 226
2025

1/10/25 2025/579
ग्रामीण सेवा शिविर 506

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर... नवलगढ़

3 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)... सौराष्ट्र

-: आदेश :-

3/10/25

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सौराष्ट्र व भू.अ.नि. इमरा

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार नवलगढ़ / नायब तहसीलदार मुकुंदराव की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सौराष्ट्र तहसील नवलगढ़ व जिला झुंझुन की जमाबन्दी सम्वत् 2275-78 में खाता संख्या 51 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>सौराष्ट्र</u>	<u>51</u>	① विद्याधर पुत्र हरदेव राम ② मीरा देवी पत्नी रणवीर ③ रजनीका पुत्र रणवीर ④ रमन पुत्र रणवीर	① विद्याधर सिंह पुत्र हरदेव राम ② मीरा देवी पत्नी रणवीर सिंह ③ रजनीका चौधरी पुत्र रणवीर सिंह ④ रमन कुमार पुत्र रणवीर सिंह

उपखण्ड अधिकारी

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा. कलक्टर,

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. तहसीलदार नवलगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री विद्याधर, मीरा देवी, रजनीका, रमन को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर